



21-12-25


पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 में पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 की भावना से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 आर.टी.ए. एवं 136 एलआर.एक्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत जमाबंदी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 आर.टी.ए. एवं 136 एलआर. एक्ट स्वीकार किया जाकर चक 22 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 47 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक सालम कुल पांच बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करे।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21.12.2025 में मजमेआम सुनाया गया।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
श्रीगंगानगर


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
श्रीगंगानगर


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)